दिनांकः- 30.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा...

शहीद स्मृति

आज दिनांक 30/01/2021 को पुलिस कार्यालय महोबा में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में 02 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव द्वारा शहीदों के देश की स्वतन्त्रता, कल्याण एवं प्रगति के लिये दिये गये योगदान को याद किया गया एवं उसके महत्व को बताया गया । उन्होंने कहा कि हमें शहीदों के जीवन एवं त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिये एवं सत्यनिष्ठा के साथ डियूटीरत रहते हुये समाजसेवा करनी चाहिये। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह एवं समस्त शाखा/यूनिट के अधिकारी/कर्मचारी मौजद रहे।

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चालाये जा रहे वाछिंत अपराधी गिरफ्तारी अभियान के तहत आज दिनांक **30**.1.2021 को प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु.अ.सं. 24/2021 धारा 354 क /385 /505(3) भा.द.सं.** में नामित अभियुक्त नदीम हासमी पुत्र हनीफ हासमी उम्र 22 वर्ष निवासी काजीपुरा तालाब कस्बा व थाना पनवाडी महोबा को भरवारा बस स्टैण्ड के पास गिरफ्तार कर जिला कारागार महोबा भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1 व0उ0नि0 श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह
2.उ0नि0 श्री शेरे आलम खां
3. का0 अभिषेक यादव

अभियुक्त का नाम व पता-

1. नदीम हासमी पुत्र हनीफ हासमी उम्र 22 वर्ष निवासी काजीपुरा तालाब कस्बा व थाना पनवाडी महोबा

महोबा पुलिस

दिनांकः- 30.01.2021

सोशल मीडिया सेल

थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित 02 किलो सूखा गांजा बरामद

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के .गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत / वारंटी / टॉपटेन अपराधियों की गिरफ्तारी/अवैध शस्त्रों की बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक कबरई दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम जिसमें उ0नि0 ब्रम्हादीन व कां0 अवनेश कुमार व कां0 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं 317/20 धारा 147/148/307/504 भादवि मे वांछित अभियुक्त रहीस खांन पुत्र भइयालाल खान उम्र करीब 25 वर्ष को मकरबई मोड़ ब्रहद ग्राम अलीपुरा थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी से 315 बोर एक अदद तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस व लगभग 02 किलोग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 48/21 धारा 8/20 NDPS Act व मु0अ0सं0 49/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रहीस उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ ब्रम्हादीन 0नि0
2. कांअवनेश कुमार 0
3. कांधर्मेन्द्र सिंह 0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रहीस खांन पुत्र भइयालाल खान उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम मकरई थाना कबरई

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने थाना श्रीनगर का वार्षिक निरीक्षण कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...।

थाना क्षेत्र के सभी किसानों के साथ संवाद स्थापित करने के दिये निर्देश तथा आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने के दिये निर्देश

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 30.01.2021 को थाना श्रीनगर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम गार्द सलामी लेते हुये महिला हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर हेल्प डेस्क का निरीक्षक किया जिसके सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर को निर्देशित किया गया तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर, बैरक, हवालात, माल खाना, मेस, कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष का भ्रमण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये। इसी क्रम में शस्त्रों की सफाई और रखरखाव का जायजा लिया गया एंव आरक्षीगण व उप निरीक्षकगणों से शस्त्रों के बारे में पूछताछ की गयी। थाना हाजा के मालखानें को दुरूस्त करते हुए कमियों को दूर करने के निर्देश दिये गये, थाना परिसर की साफ सफाई देख कर संतोष प्रकट किये तथा आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर थाने के अभिलेखों रजिस्टर नं0 8, हिस्ट्रीशीट रजिस्टर, टॉप टेन अपराधी रजिस्टर, एचएस निगरानी, गुण्डा रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट, ग्राम सुरक्षा समिति, चौकीदार रजिस्टर आदि को अध्यावधिक कराने की हिदायत दी गयी व लंबित विवेचनाओं तथा लंबित शिकायती पत्र की जांच और वांछित अभियुक्तों के जल्द गिरफ्तारी हेतु गहराई से समीक्षा की गई। ग्राम निगरानी समिति के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर संजय कुमार शर्मा, वाचक निरीक्षक श्री विनोद कुमार, पीआरओ राजेश मौर्य व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना कुलपहाड पुलिस ने अवैध शराब के साथ 02 ऩफर अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 29.01.2021 को चलाये जा रहे अवैध मदिरा अभियान के तहत थाना कुलपहाड पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 अजय यादव के नेतृत्व में मय हमराही कर्मचारी गण व आबकारी टीम की मदद से 02 नफर अभियुक्ताओं क्रमशः (1) श्रीमती सेवन्ती पत्नी सेवक उम्र 32 वर्ष **(2)** श्रीमती सुन्नी पत्नी रामसागर उम्र **33** वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से क्रमशः 10-10 लीटर कुल 20 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज के साथ दोनों अभियुक्ताओं को बब्बा जी मन्दिर के पास वहद कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से बरामद की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्ता श्रीमती सेवन्ती के विरूद्ध मु0अ0सं0 18/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व अभियुक्ता श्रीमती सुन्नी के विरूद्ध मु0अ0सं0 19/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरणः-

(1) श्रीमती सेवन्ती पत्नी सेवक उम्र 32 वर्ष निवासी औना डेरा वहद कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

(2) श्रीमती सुन्नी पत्नी रामसागर उम्र **33** वर्ष निवासी औना डेरा वहद कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामद शराब का विवरणः-

दो अदद पिपिया में 10 – 10 लीटर कुल 20 ली0 कच्ची देशी शराब नाजायज महुआ

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्म0 गण का नामः-

(1) उ अजय यादव 0नि0

(2) कां अनिल कुमार 0

(3) आबकारी निरी श्री योगेश कुमार गुप्ता 0

(4) मसंगीता देवी 0कां0

दिनांकः- 30.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

थाना कुलपहाड़ से ताश पत्तों से जुआ खेलते हुये 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 29.01.2021 को चलाये जा रहे जुआं व शराब के विरुद्ध धरपकड अभियान के तहत थाना कुलपहाड पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मय हमराही कर्मचारी गणो की मदद से विष्णु कुमार के शंकरलाल की दुकान के पास तिराहे पर वहद ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा में दविश देकर ताश पत्तो से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये 05 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया । जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

मालफड- 1500-/- रू0

जामा तलाशीः- 550-/- रू0

कुल बरामद धनराशि- **2050** रू0

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामद धनराशि का विवरणः-

1. गनेश पुत्र किशना उम्र करीब 51 वर्ष निवासी ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. विकेश कुमार पुत्र कृपा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
3. शंकरलाल पुत्र वृन्दा कुशवाहा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
4. रूप सिंह पुत्र कुवंरलाल उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ण ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
5. धर्मेन्द्र पुत्र मूलचन्द्र उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1- उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह

2- कां0 विजय पटेल 3. कां0 मिथुन कुमार...।

“मिशन शक्ति” अभियान- अब अपराध के खिलाफ बुलंद करो आवाज, मत सहो अत्याचार... महोबा पुलिस है आपके द्वार

आज दिनाँक 28.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे **“मिशन शक्ति”** महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह नें श्री काशी प्रसाद इण्टर कालेज खरेला में प्रधानाचार्य श्री अशोक सिंह की उपस्थिति में स्कूली छात्राओं को जागरुक करते हुये कहा कि अपराध सहने से उसका निदान नहीं होगा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही अपराध पर लगाम लगायी जा सकती है। अपराधियों से डरना नहीं हैं बल्कि उन्हे मुंहतोड जवाब देना है। जिससे कि असामाजिक तत्वों के हौसले पस्त हो जायें।

इसी क्रम में सभी को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन व नारी सुरक्षा के प्रति जागरुक किया गया तथा उन्हे हेल्पलाइन नम्बरों- वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकाल सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108 एवं सभी को जनपद के प्रमुख अधिकारियों के सीयूजी नंबरो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हे साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी देते हुये पम्पलेट्स का वितरण किया गया।

साथ ही टीम द्वारा मौजूद छात्रों को लड़कियों पर छीटाकशी/छेड़खानी करने व महिला सम्बन्धी अपराध करने से बचने की सलाह दी गई। उन्हे बताया गया कि कानून सभी के लिए बराबर है। बाल अपराध के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी होने पर तुरन्त चाइन्ड केयर नं0 1098 पर फोन कर सकते हैं

महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग एवं "राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह" के प्रति लोगो को किया गया जागरुक

आज दिनाँक 30.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त बस-स्टैण्ड, होटल, ढाबा, मुख्य बाजार,धार्मिक-स्थलों आदि की संघन चेकिंग की गई । गस्त के दौरान शराब की दुकानों आदि जगहों की भी चेकिंग की गई ।

यातायात पुलिस महोबा द्वारा **दिनाँक 21.01.2021 से 20.02.2021** तक चलने वाले **"राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह"** के तहत प्रभारी यातायात उ0नि0 अरविन्द मिश्रा मय टीम द्वारा अभियान के तहत बिना नम्बर प्लेट गाड़ियों की चेकिंग की गयी । जिसमें 67 बिना नम्बर प्लेट गाड़ियों का ई-चालान किया गया तथा ब्रेथ इनालाइजर से वाहन चालकों के शराब पीने की चेकिंग की गई । **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर **10 व्यक्तियों से 1400/-रू0** जुर्माना व **86 ई-चालान किये गये ।**